BSLSA
LEGAL AID TO NEEDY

बन्दियों के मानवाधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता

बिहार सरकार

बिहार मानवाधिकार आयोग एवं
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बन्दियों के मानवाधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता

मानवाधिकार दिवस : 10 दिसम्बर, 2023

बिहार मानवाधिकार आयोग

एवं

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बंदियों को विधिक जागरूकता

माननीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश–सह–मुख्य संरक्षक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, **माननीय न्यायमूर्ति श्री के० विनोद चन्द्रन** के संरक्षण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष–सह–पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, **माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह** के मार्गदर्शन एवं बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष **माननीय न्यायमूर्ति (से०नि०) श्री अनंता मनोहर बदर** के नेतृत्व एवं दिशा–निर्देश से आज दिनांक–**10.12.2023** को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राज्य के सभी कारा के बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सभी कारा में कानूनी जागरूकता का कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जा रहा है।

प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर की तिथि को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में आज 10 दिसम्बर, 2023 को बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के प्रत्येक कारा (केन्द्रीय कारा, जिला कारा, उप कारा एवं महिला कारा) में बंदियों के साथ मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है।

मानवाधिकार दिवस

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया गया और असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों और प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन–पाठन और व्याख्या करना है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना निम्न प्रकार है

चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति की विश्वशांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।

क्योंकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूँकि एक ऐसी विश्व–व्यवस्था की उस स्थापना को "जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी" सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है।

मानवाधिकार अधिनियम, 1993

मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है एवं धारा 12 के अन्तर्गत आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुष्प्रेरण, किसी भी कार्रवाई में मानवाधिकारों का उल्लंघन में दखल देना मानव अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा रक्षोपायो का पूर्वलोकन करना एवं अन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों के अन्तर्गत कारा में सभी बंदियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

(i) बंदियों के मानव एवं मौलिक अधिकारों के लिए कारा अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत विभिन्न अधिकार दिये गये हैं।

(ii) कारा सुधार के लिए अखिल भारतीय समिति (1980–1983) जिसको मुल्ला समिति के नाम से जाना जाता है एवं उसमें न्याय तक की पहुँच को बंदियों के अधिकारों के श्रेणी में रखा गया है एवं न्याय तक की पहुँच के अधिकार है। इसके अनुसार कुछ अधिकार इस प्रकार है:

- अभिरक्षा में रखने की सूचना का अधिकार।

- अधिवक्ता से परामर्श या न्यायालय में बचाव पक्ष रखने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता।
- विधिक सेवा संस्थाओं तक पहुँच।
- अपील, रिविजन दायर करने का अधिकार।
- कोर्ट द्वारा सभी कागजात प्राप्त करने का अधिकार।

गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री डी0 के0 बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया है:–

1. प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने वर्दी पर नेम प्लेट, पद सहित लगायेगा।
2. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को **Memo of Arrest** देगा।
3. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जब हाजत में रखा जायेगा तो उसके परिवार के किसी सदस्य, मित्र या रिश्तेदार को इस बारे में सूचना देना होगा कि उसे किस अपराध में और किस पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए रखा गया है।
4. पुलिस स्टेशन का स्पष्ट रूप से विवरण देना होगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है।
6. स्टेशन डायरी में इसका कारण का उल्लेख किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मेडिकल जाँच तुरंत कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनुसंधान के क्रम में रिमाण्ड में लिया गया हो तो प्रत्येक 48 घंटे में उसकी चिकित्सीय जाँच करानी है।
9. तत्काल **Memo of Arrest** को स्थानीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में भेजा जायेगा।
10. अनुसंधान के क्रम में उनके अधिवक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी।

11. गिरफ्तारी की सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम को देना आवश्यक है।

पूरे विश्व में समय–समय पर बंदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु आवाज उठती आयी है और इसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी बंदियों के साथ क्या बरताव किया जाय इसके लिए कुछ नियम बनाये हैं, जिसे **Nelson Mandela Rules** कहा जाता है। जो 17 दिसम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली द्वारा स्वीकृत किया गया, जिनमें कुल 122 नियम है। कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न हैः–

1. सभी बंदियों को उनके मान–सम्मान की रक्षा करना अति आवश्यक है।
2. सभी बंदियों के साथ समानता का व्यवहार करना है और उन्हें जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान इत्यादि से विभेद नहीं किया जायेगा।
3. उन्हें खाने–पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

भारत में बंदियों को भारतीय संविधान एवं Prison Act, 1894 के द्वारा अधिकार दिये गये हैं।

भारतीय संविधान के अनुसार बंदियों के अधिकार

1. मुफ्त विधिक सहायता।
2. त्वरित विचारण।
3. निष्पक्ष विचारण।
4. क्रुरता एवं अनावश्यक दंड से रोकथोम।
5. Custodial हिंसा।
6. आत्म–सम्मान की रक्षा।
7. परिवार के सदस्य, मित्र एवं अधिवक्ता से संपर्क करना।
8. सेल में रखना और हथकड़ी पर रोक।

9. प्रताड़न से मुक्ति।
10. प्रमाणित मजदूरी देना।
11. गलत गिरफ्तारी एवं अवैध प्रताड़ना पर मुआवजा देना।
12. खुले में फाँसी नहीं देना।
13. पुनर्वास की व्यवस्था करना।
14. विधि सम्मत कानून के तहत सजा देना एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण करने का अधिकार भारत संविधान के द्वारा अधिष्ठापित किया गया हैं।

कारा अधिनियम के अन्तर्गत बंदियों के अधिकार

सर्वप्रथम भारत में 1894 में कारा अधिनियम लागू हुआ और 2016 में भारतीय संसद में **Prison Amendment Act** पास किया गया, जिसमें बंदियों के लिए अन्य अनुशंसाएं की गईः–

1. रहने की व्यवस्था।
2. जेल में अधिक मात्रा में बंदियों को नहीं रखना।
3. चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सीय जाँच करवाना।
4. पुरुष एवं महिला बंदियों को अलग–अलग रखना।
5. सिविल मामले एवं आपराधिक मामले के बंदियों को अलग–अलग तथा सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदियों को अलग–अलग रखना।
6. बंदियों के स्वास्थ्य को समय–समय पर जाँच करना।
7. गर्भवती महिला बंदियों की समय–समय पर चिकित्सीय जाँच एवं चिकित्सीय सलाह के अनुसार दवाई तथा भोजन की व्यवस्था करना।
8. गर्भवती महिला के प्रसव के लिए 30 दिन के **Parole** पर छोड़ना।
9. जेल को साफ–सुथरा रखना।

10. आदतन एवं दूर्दांत अपराधियों को साधारण अपराध किये गये बंदियों से अलग रखना।

11. शिक्षा की व्यवस्था करना।

12. बंदियों की पुनर्वास की व्यवस्था। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बिहार राज्य की जेलों में बंद पड़ी इकाइयों को खोलने हेतु दिशा–निर्देश जेल के पदाधिकारियों को दिया गया है। कई जेलों में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के दिशा–निर्देश पर इकाइयाँ काम करना शुरू कर दिया है और मुक्ति ब्राँड के नाम से बंदियों के सहयोग से उत्पादन भी शुरू हो गया है जो कि बंदियों के कारा मुक्त के पश्चात् उनके जीवन–यापन में सहयोगी होगा।

संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित नहीं कर दिया गया है।

इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जायेगा और जो भी बंदी कारा में रहते हैं वे विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत ही कारा में रहते हैं, चाहे वह विचाराधीन बंदी हो, चाहे सजावार बंदी हो।

टी0बी0 सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य 1979 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता बंदियों को भी मिली है और अनुच्छेद 21 के अनुसार ही **Right to privacy,** शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा एवं खान–पान आदि आते हैं।

बंदियों के अधिकारों का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय **रजिता पटेल बनाम बिहार राज्य 2020** जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें रजिता पटेल जिसके पति जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, के लिए पत्नी द्वारा

एक आवेदन दिया गया कि उसके पति आजीवन कारावास के दोषी है और जो लगातार कारा में है और मैं उनकी विवाहित पत्नी हूँ और मुझे अधिकार है कि मैं अपने पति के वंश को बढाऊँ। इसके लिए मुझे अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहने दिया जाय जिससे मैं माँ बन सकूँ और वंश बढ़ा सकूँ, क्योंकि माँ बनना मेरा मौलिक अधिकार है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और बंदी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वे अपने पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बीता सके।

माननीय न्यायालय द्वारा इस तर्क को नहीं माना गया और न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि पत्नी को इस बात का अधिकार है कि वह वैवाहिक जीवन व्यतित करें एवं वंश बढाएं और इसी पर न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि उसे अपने पति के साथ रहने के लिए उसके पति को 15 दिन के Parole पर छोड़ा जाय। अब कई बंदियों द्वारा IVF के द्वारा संतान के लिए भी आवेदन दिया जा रहा है।

जॉर्ज फर्नांडीस बनाम बिहार राज्य में Right to know and Right to Knowledge को निर्णीत किया गया है। इसमें कारा अधीक्षक द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि किसी भी बंदी को 12 से ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी जाएगी, जबकि जेल में लाईब्रेरी थी। इसमें न्यायालय का कहना था कि Right to know and Right to Knowledge सभी का अधिकार है, इसलिए किताबों की संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सुरेन्द्र महतो बनाम बिहार राज्य में सजा को निलंबित करने या परिहार्य करने के राज्य के शक्तियों की व्याख्या की गई है। इस केस में सुरेन्द्र महतो को सजा माफी का आवेदन 4 वर्षों से लंबित था और उसे बिना तार्किक रूप से खारिज कर दिया गया है और न्यायालय ने इसे न्यायोचित नहीं माना और उसे पुनः Remission Board के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया।

भगलू मंडल बनाम बिहार राज्य में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वह फ़िर भी जेल में निरुद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जेल प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप माना गया और जेल प्रशासन को दोषी माना गया।

नंदनी सत्यति बनाम पी0 एल0 धानी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है या दंड या सजा पाया हुआ है या सजा काट चुका है तो उससे जबरदस्ती Confessional Statement नहीं लिया जा सकता है।

हसरत मिश्रा बनाम कारा निर्देशक मद्रास में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि बंदी को इस आधार पर कि उसकी पत्नी बीमार है और मृत्यु के कगार पर है और आईसीयू में है तब उसे मिलने दिया जाय। बंदी को 10 दिन का Parole दिया जाय और बंदी जब भी अपने पत्नी से मिलता तो पुलिस उसके बगल में खड़ी रहती थी। न्यायालय ने इसे गलत माना और कहा कि किसी भी व्यक्ति को पति–पत्नी में हुई बातें को सुनने का अधिकार नहीं है और पुलिस को उनसे दूर खड़ा रहना चाहिए।

गया सुद्दीन बनाम आंद्र प्रदेश राज्य में Right to work and Right to education को निर्णीत किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि बंदियों को उसकी दक्षता एवं योग्यता के अनुसार उनके कार्यों का बटबारा किया जाना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनपढ़ बंदी महिलाओं को कढाई–बुनाई का सिखाया जाना चाहिए और अगर कोई लेखक है तो उसे खिलने के लिए पाठ्य एवं स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए।

परमानन्द कटारा बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में निर्णीत किया गया है कि अगर किसी बंदी को जेल में प्रताड़ित किया गया हो या मारपीट किया गया हो तो बंदी के अनुरोध पर उसका मेडिकल जाँच करवाना चाहिए।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एवं प्रेम कुमार बनाम दिल्ली में यह निर्णीत किया गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जबकि यह लगे कि कोई अपराधी भाग सकता है, उसे हथकड़ी लगाना चाहिए अन्यथा नहीं।

महिला बंदियों के अधिकार

1. महिलाओं को अलग कारा में रखा जाना चाहिए और जब तक कारा नहीं है तो महिला बंदियों को अनिवार्य रूप से अलग–अलग महिला खण्ड में रखा जायेगा और कोई भी पुरुष बंदी उसके भीतर नहीं झांक सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

2. जब किसी पुलिस पदाधिकारी को महिला बंदी से पूछताछ करने की आवश्यकता होगी तब उसे खण्ड से बाहर नहीं लाया जाएगा, बल्कि पुलिस पदाधिकारी को कारा उपाधीक्षक एवं महिला कक्षपाल के साथ महिला खण्ड में जाने की अनुमति दी जाएगी।

3. कोई भी पुरुष महिला खण्ड में प्रवेश नहीं करेंगे।

4. महिला बंदी अपने निकट संबंधियों से सप्ताह में एक बार मुलाकात करेंगे।

5. कारा में हुए जन्म को स्थानीय जन्म पंजी में पंजीकृत कराया जायेगा, जिसमें सिर्फ स्थानीय पता को उल्लेख किया जायेगा और उपाधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है और माँ को नाम–संस्कार देने का पूरा सुविधा मुहैया कराया जायेगा।

6. छः वर्ष तक के उम्र के बच्चों को महिला बंदी अपने साथ रखेंगी ओर इससे अधिक उम्र के बच्चों को महिला द्वारा चुने गये किसी निकट संबंधी को सौंपा जायेगा या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी गृह में रखा जायेगा।

7. जब कोई महिला कोई बच्चा छोड़कर मर जाती है तब ऐसे बच्चों को कारा में संसीमित नहीं रखा जायेगा। वैध दावेदारों को सौंप दिया जायेगा।

8. महिला बंदियों को कारावास के दौरान इनकी देखभाल महिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा और सिविल सर्जन द्वारा प्रत्येक सप्ताह कारा में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो स्वास्थ्य संबंधी जाँच करेंगी।

9. बच्चों के शारीरिक वृद्धि के लिए भी चिकित्सीय जाँच की जायेगी और बच्चों को वस्त्र एवं भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

10. अगर कोई महिला गर्भवती है तो चिकित्सा पदाधिकारी इसकी

सूचना कारा अधीक्षक को देगा और उसे उचित भोजन, दवा एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

11. प्रत्येक जेल में एक बालवाड़ी का संलाचन किया जायेगा।

12. महिला बंदियों से बाहर रखी गई बच्चों को सप्ताह में एक बार अपने माँ से मिलने का अधिकार प्राप्त होगा।

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 को समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक–09.11.1995 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा–12 में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए मान–दंड दिये गये हैं कि ऐसे व्यक्ति जो विधिक सहायता के हकदार हैं, की सूची निम्न प्रकारः–

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हो,
2. मनुष्यों या भिखारी में अवैध व्यापार करने वाला आहत हों, जैसा संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट है;
3. महिला या बच्चा हों;
4. अयोग्यताओं के साथ व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खण्ड (i) में परिभाषित अनुसार अयोग्यता वाला व्यक्ति हो;
5. घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, नृसंशता बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विपत्ति का आहत होते हुए अनर्जित आवश्यकता की परिस्थितियों के अन्तर्गत व्यक्ति हो;
6. एक औद्योगिक कर्मकार हो;
7. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर संरक्षक गृह में अभिरक्षा या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 खण्ड (ञ) के अर्थ के भीतर किशोर गृह में अभिरक्षा या मानसिक हैल्थ अधिनियम,

(ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।

(घ) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।

(ड़) जिला विधिक सेवा प्राधिकार।

(च) अनुमंडल (तालुका) विधिक सेवा समिति।

विधिक सहायता का प्रकार

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के अनुसार निम्न प्रकार की विधिक सहायता उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है:-

(क) न्यायालय में वाद दायर करने अथवा बचाव के लिए निःशुल्क एवं सक्षम अधिवक्ता प्रदान किया जाता है।

(ख) कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस, अन्य शुल्क।

(ग) अपील दायर करने के लिए जरूरी कागजात तैयार करना एवं अनुवाद करना कारा की अभिरंक्षा में व्यक्तियों के मानव अधिकार।

(i) मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" पारित किया गया। इसके अतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है एवं धारा 12 के अन्तर्गत आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंधन या दुष्प्रेरण, किसी भी कार्रवाई में मानवाधिकारों का उल्लंघन में दखल देना मानव अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा रक्षोपायों का पूर्वालोकन करना एवं अन्य शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन्हीं शक्तियों के अन्तर्गत कारा में सभी बंदियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

(ii) बंदियों के मानव एवं मौलिक अधिकारों के लिए कारा अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत विभिन्न अधिकार दिये गये हैं।

(iii) कारा सुधार के लिए अखिल भारतीय समिति (1980–1983) जिसको मुला समिति के नाम से जाना जाता है एवं उसमें न्याय तक की पहुँच के बंदियों के अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है एवं न्याय तक की पहुँच के अधिकार इस प्रकार है।

(i) अभिरक्षा में रखने की सूचना का अधिकार।

(ii) अधिवक्ता से परामर्श या न्यायालय में बचाव पक्ष रखने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता।

(iii) विधिक संस्थाओं तक पहुँच।

(iv) अपील, रिविजन दायर करने का अधिकार।

(v) कोर्ट द्वारा सभी कागजात प्राप्त करने का अधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विभिन्न सेवाएँ।

(i) प्रत्येक कारा में पैनल अधिवक्ता की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि बंदियों को विधिक परामर्श एवं विधिक सहायता प्रदान की जाय।

(ii) यदि किसी बंदी को कोई वाद दायर करना हो या बचाव पक्ष के लिए अधिवक्ता रखने में सक्षम न हो, ऐसे बंदियों द्वारा आवेदन लेकर यह पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करा देते हैं ताकि इन बंदियों को त्वरित न्याय मिल सके।

(iii) बंदियों की कारा द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायालय में उपस्थिति करायी जाती है एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय समय पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली जाती है।

(iv) यू.टी.आर.सी. द्वारा ऐसे बंदी जो कि चिन्हित किये जाते हैं उनका आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर किया जाता है।

(v) ऐसे बंदी जिन्हें अपील दायर करनी हो उसके आवेदन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रेषित किया जाता है ।

(vi) ऐसे बंदी जिनका समय कारा में पूरा हो चुका है अथवा ऐसे बंदी जो समय पूर्व रिहाई के लिए नियमानुसार हकदार है, उनका आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की जाय यदि उन्हें न्यायालय में अपना आवेदन दायर करना हो।

बिहार मानवाधिकार आयोग एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी कारा में दिनांक 10.12.2023 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कारा में संसीमित बंदियों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं आवश्यक कानूनी जानकारी देने हेतु आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता आदि द्वारा उपरोक्त जानकारी सुलभ रूप से बंदियों को दी गई। तथा कार्यक्रम में बंदियों द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में कानूनी पहलू की भी जानकारी दी गई। इस बुकलेट को सभी कारा के लाईब्रेरी में रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार मानवाधिकार आयोग एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भविष्य में समाज के अन्य वंचित एवं कमजोर वर्गों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय समय पर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संकल्पित हैं।

●